तत्काल
तिथिबद्ध

क्रमांकः 46/2/2022–5पोल0
हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग

दिनांक 30 अप्रैल, 2024

सेवा में

1. आयुक्त, अम्बाला/रोहतक/गुरूग्राम/हिसार/फरीदाबाद/करनाल मण्डल ।
2. हरियाणा के सभी उपायुक्त ।

विषयः– **गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर सम्मानित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया/मापदंड निर्धारित करने बारे ।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में पत्र क्रमांक न0 46/2/2022–5 पोल दिनांक 28 जुलाई, 2022 की निरंतरता में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया का **उचित परिश्रम एवं लगन के साथ पालन किया जाए** :–

1. गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित करने के लिए प्राप्त सिफारिशों का निरीक्षण करने हेतु उपायुक्त एक समिति का गठन करेंगे । समिति सभी आवेदनों का निरीक्षण कर उपायुक्त को सिफारिश करेगी । उपायुक्त द्वारा स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अधिकतम 20 पुरुस्कार की स्वीकृति प्रदान की जाएगी ।

2. इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिए जाने वाले पुरस्कारों की सूची को अन्तिम रूप देने की तारीख 10 अगस्त होगी । भविष्य में पुरस्कारों की सूची के बारे में निर्णय लेने की अंतिम तिथि स्वतंत्रता दिवस के संबंध में 5 अगस्त व गणतंत्र दिवस के संबंध में 10 जनवरी होगी ।

3. 2023–24 में सरकार ने निर्णय लिया था कि स्थानीय मंत्री/विधायक को भी इस कार्य में जोड़ा जाए।

4. सभी पुरस्कार विजेताओं का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन किया जाना अनिवार्य हैं।

5. सभी उपायुक्त पूर्ववर्णित अंतिम तिथि के दिन पुरस्कार वितरण की सूची मुख्य सचिव कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें ।

6. आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा (संलग्न) के अनुसार लिए जाऐं ।

सरकार द्वारा जारी इन हिदायतों की दृढ़ता व सख्ती से पालना करनी सुनिश्चित की जाए ।

भवदीय

30/4/2024

अवर सचिव राजनैतिक
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार